जयपुर में निजी बस ऑपरेटर्स के दो गुटों में टकराव, यात्रियों को जबरन नीचे उतारा

हड़ताल के कारण प्रदेश में दूसरे दिन भी थमे रहे प्राइवेट बसों के पहिए, 15 लाख यात्री प्रभावित

-कार्यालय संवाददाता-

जयपुर। राजस्थान में निजी बस ऑपरेटर्स की अनिश्चितकालीन हड़ताल के दूसरे दिन प्रदेश की परिवहन व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई है। हड़ताल का सीधा असर करीब 15 लाख से ज्यादा यात्रियों पर पड़ रहा है।

जयपुर,भीलवाड़ा, नागौर और उदयपुर सहित प्रदेशभर में निजी बस संचालकों ने न केवल अपनी बसें बंद रखीं, बल्कि लोक परिवहन की बसों को भी जबरन रोक दिया। राजधानी जयपुर में सुबह बसें चलाने को लेकर दो गुट आपस में भिड़ गए। हड़ताल समर्थकों ने चल रही बसों से सवारियों को जबरन नीचे उतार दिया। वहीं उदयपुर में यात्रियों से भरी एक बस को रोककर उसके टायरों की हवा निकाल दी गई। भीलवाड़ा और नागौर में ऑपरेटर्स ने रैली निकालकर प्रदर्शन किया और परिवहन विभाग के अधिकारियों के खिलाफ जमकर नारेबाजी की।हड़ताल का सबसे ज्यादा असर खाटूश्यामजी जाने वाले श्रद्धालुओं पर पड़ रहा है। इस मजबूरी का फायदा उठाकर टैक्सी संचालकों ने लूट मचा रखी है। यात्रियों का आरोप है कि जयपुर से खाटूश्याम (100 किमी) के लिए टैक्सियां 6 हजार रुपए तक की मांग कर रही हैं। एडवांस बुकिंग के बावजूद यात्रियों से अतिरिक्त पैसों की वसूली की जा रही है। परिवहन आयुक्त पुरुषोत्तम शर्मा ने जयपुर पुलिस कमिश्नर सहित सीकर और जयपुर ग्रामीण के अधिकारियों को पत्र लिखकर सुरक्षा की मांग की है। विभाग का दावा है कि लोक परिवहन के ऑपरेटर्स हड़ताल में शामिल नहीं हैं और वे बसें चलाना चाहते हैं। आयुक्त ने निर्देश दिए हैं कि बस ड्राइवरों और यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए ताकि यातायात सुचारू हो सके। निजी बस संचालकों का आरोप है कि परिवहन विभाग द्वारा मनमाने तरीके से चालान काटे जा रहे हैं, जिससे उन्हें भारी आर्थिक नुकसान हो रहा है। ऑपरेटर्स का साफ कहना है कि जब तक उनकी मांगें नहीं मानी जाएंगी, तब तक अनिश्चितकालीन हड़ताल जारी रहेगी और वे किसी भी सूरत में बसें नहीं चलने देंगे।

निजी बस ऑपरेटर्स की हड़ताल के कारण जयपुर में बुधवार को लगातार दूसरे दिन प्राइवेट बसों का संचालन नहीं हो सका।

- जयपुर, भीलवाड़ा, नागौर और उदयपुर सहित प्रदेशभर में निजी बस संचालकों ने न केवल अपनी बसें बंद रखीं, बल्कि लोक परिवहन की बसों को भी जबरन रोक दिया।

पुलिस से सहमति के बाद वकीलों ने रास्ता खोला

राजस्थान हाईकोर्ट जयपुर के बाहर गत 16 फरवरी से रास्ता रोककर बैठे वकीलों ने बुधवार शाम को पुलिस से समझौता होने के बाद धरना समाप्त कर दिया।

जयपुर (कासं)। शहर के निजी अस्पताल के संचालक के खिलाफ इलाज के दौरान लापरवाही करने को लेकर दर्ज एफआईआर में कार्रवाई की मांग के साथ गत 16 फरवरी से हाईकोर्ट के बाहर रास्ता रोककर बैठे वकीलों ने बुधवार शाम को पुलिस से समझौता होने के बाद अपना धरना समाप्त कर दिया।

हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष राजीव सोगरवाल और डीसीपी दक्षिण राजर्षि राज की ओर से संयुक्त जानकारी दी गई कि दोनों पक्षों के बीच सात बिंदुओं पर सहमति बनी है। इसके तहत आरजीएचएस में अनियमिता के बारे में निविक अस्पताल से संबंधित जांच चिकित्सा विभाग की ओर से 20 दिन में पूरी कराने के संबंध में विभाग को पत्र लिखा जाएगा। वहीं जांच के बाद अपराध प्रमाणित होता है तो विभाग एफआईआर दर्ज कराएगा। वहीं इलाज में लापरवाही को लेकर मानसरोवर थाने में दर्ज एफआईआर को लेकर परिवादी की इच्छा पर मेडिकल कॉलेज को मेडिकल बोर्ड गठित करने के लिए लिखा जाएगा। जांच एवं कार्रवाई पूरी होने तक अस्पताल को अस्थाई रूप से पैनल से बाहर करने के लिए आरजीएचएस को लिखा जाएगा। वहीं हाईकोर्ट में लंबित याचिका में तथ्यात्मक रिपोर्ट पेश की जाएगी। वकीलों का समझौता हुआ है कि मामले की निष्पक्ष जांच के लिए डीसीपी दक्षिण की अध्यक्षता में एसआईटी गठित की जाएगी और जांच एक माह में पूरी की जाएगी। वहीं केस की प्रगति के बारे में परिवादी को बताया जाएगा। इसके साथ ही प्रत्येक जांच में परिवादी शामिल रहेगा और हर सात दिन में बार एसोसिएशन को प्रगति के बारे में बताया जाएगा। वहीं समस्त दस्तावेजों व सीसीटीवी फुटेज की जांच एफएसएल से एक माह में कराई जाएगी।

डबल इंजन ने राजस्थान को विकास की पटरी से उतारा : टीकाराम जूली

नेता प्रतिपक्ष ने ईआरसीपी पर वादाखिलाफी और रिफाइनरी की अनदेखी पर सरकार को घेरा

जयपुर (विसं)। विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने भाजपा प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ के हालिया बयानों पर कड़ा प्रहार करते हुए इसे प्रदेश की जनता के साथ क्रूर मजाक करार दिया है। जूली ने कहा कि भाजपा नेता जिन ऐतिहासिक दौरों का ढिंढोरा पीट रहे हैं, उनकी असलियत जनता जानती है।

जूली ने कहा, "मदन राठौड आज उन वादों पर चर्चा करने से भाग रहे हैं, जो स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अजमेर की धरती से ईआरसीपी को लेकर किए थे। राजस्थान की जनता भूली नहीं है कि प्रधानमंत्री ने इसे राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा देने का आश्वासन दिया था। आज अपनी विफलताओं को छिपाने के लिए रामजल सेतु जैसे नए नाम गढ़े जा रहे हैं, लेकिन धरातल पर प्यासे कंठों को पानी मिलना अब भी दूर की कौड़ी है।"

पचपदरा रिफाइनरी के मुद्दे पर नेता प्रतिपक्ष ने सीधे सवाल दागते हुए पूछा कि आखिर राज्य सरकार इसके उद्घाटन से क्यों कतरा रही है? मदन राठौड़ विकास की बातें तो बहुत करते हैं, लेकिन क्या वे बताएंगे कि पचपदरा रिफाइनरी का काम पूरा होने के बावजूद उद्घाटन क्यों अटका हुआ है? क्या राज्य की भाजपा सरकार को प्रधानमंत्री कार्यालय से तारीख तक नहीं मिल पा रही है? रिफाइनरी जैसे महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट पर चुप्पी और प्रधानमंत्री की बेरुखी यह साबित करती है कि भाजपा के पास विकास का कोई विजन नहीं है, वे सिर्फ श्रेय लेने की राजनीति में माहिर हैं। प्रदेश की बिगड़ती सुरक्षा स्थिति पर गहरा आक्रोश व्यक्त करते हुए नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि राजस्थान में अपराध का ग्राफ रसातल में पहुँच गया है। लूट, हत्या और गैंगवार की बढ़ती घटनाओं ने साबित कर दिया है कि पुलिस का इकबाल खत्म हो चुका है। अपराधी बेखौफ हैं और आम नागरिक असुरक्षित महसूस कर रहा है। जूली ने तंज कसते हुए कहा कि "यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि जब कानून-व्यवस्था ध्वस्त है, तब सत्ताधारी दल के नेता सिर्फ गाल बजाने और खोखली वाहवाही लूटने में व्यस्त हैं। धरातल पर अपराधियों पर लगाम कसने में यह सरकार पूरी तरह नाकाम साबित हुई है।"

छह बदमाशों ने दो युवकों को घेरकर किया तलवार से हमला

-कार्यालय संवाददाता-

जयपुर। भट्टा बस्ती इलाके में छह बदमाशों ने दो युवकों पर तलवारों और डंडों से हमला कर दहशत फैला दी। जान बचाने के लिए युवकों को नजदीकी घर में शरण लेनी पड़ी। इस दौरान एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना का वीडियो बुधवार को सामने आने के बाद क्षेत्र में सनसनी फैल गई।

पुलिस के अनुसार वारदात 23 फरवरी की है। वायरल वीडियो में बदमाश दो बाइकों पर सवार होकर युवकों का पीछा करते दिखाई दे रहे हैं। मौका मिलते ही वे उन पर तलवार और डंडों से हमला कर देते है। आसपास के लोग जमा होते इससे पहले ही आरोपी फरार हो गए। भट्टा बस्ती थाना के थानाधिकारी दीपक त्यागी ने बताया कि अब तक किसी पक्ष की ओर से औपचारिक मुकदमा दर्ज नहीं कराया गया है। हालांकि पुलिस ने स्वत: संज्ञान लेते हुए दो आरोपियों को दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 107 के तहत शांति भंग करने के आरोप में गिरफ्तार किया है। पुलिस की प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि दोनों पक्ष एक ही समुदाय से जुड़े हैं और मामला आपसी रंजिश व पुरानी कहासुनी से संबंधित है। अन्य आरोपियों की तलाश जारी है। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पहचान की जा रही है और संभावित ठिकानों पर दबिश दी जा रही है। घटना के बाद इलाके में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस निगरानी बढ़ा दी गई है। अधिकारियों का कहना है कि फरार आरोपियों को शीघ्र गिरफ्तार कर लिया जाएगा।

- भट्टा बस्ती इलाके का मामला, जान बचाने के लिए युवकों को नजदीकी घर में शरण ली। इस दौरान 1 युवक गंभीर घायल हुआ

'बढ़ी हुई जनसंख्या के आधार पर मिलेगा अनुदान'

जयपुर। यूडीएच मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने बुधवार को विधानसभा में कहा कि प्रदेश के जिन नगरीय निकायों की सीमा और जनसंख्या में वृद्धि हुई है, उन्हें राज्य सरकार द्वारा बढ़ी हुई जनसंख्या के आधार पर ही अनुदान दिया जाएगा। प्रश्नकाल में विधायक कुलदीप द्वारा पूछे गए पूरक प्रश्नों के उत्तर में मंत्री खर्रा ने बताया कि नगर पालिका पावटा-प्रागपुरा को 'बी' श्रेणी में क्रमोन्नत करने के लिए परीक्षण कराया जाएगा और यदि निर्धारित मापदंडों के अनुरूप पाया गया तो क्रमोन्नयन पर विचार किया जाएगा।

इससे पहले विधायक कुलदीप के मूल प्रश्न के लिखित जवाब में मंत्री ने स्पष्ट किया कि नगर पालिका पावटा-प्रागपुरा को नगर परिषद में क्रमोन्नत करने का फिलहाल कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

सार-समाचार

राजीविका रंगोत्सव का शुभारंभ

जयपुर। महिला स्वयं सहायता समूहों के उत्पादों के विपणन एवं ब्रांडिंग को सुदृढ़ करने की दिशा में राजीविका रंगोत्सव (होली मेले) का सचिवालय परिसर में शुभारंभ किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास ने किया, इस अवसर पर अतिरिक्त मुख्य सचिव श्रेया गुहा, राजीविका की राज्य मिशन निदेशक नेहा गिरि भी मौजूद थी। मुख्य सचिव ने महिला स्वयं सहायता समूहों की सराहना करते हुए कहा कि राजीविका द्वारा आयोजित ऐसे विपणन मंच महिला उद्यिमता को नई दिशा प्रदान करते हैं तथा ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते है। अधिकारियों ने राजीविका के स्टॉलस् का अवलोकन किया तथा महिला उद्यिमयों से संवाद कर उनके उत्पादों, पैकेजिंग एवं विपणन रणनीतियों की जानकारी ली। ज्ञात रहे कि राजीविका रंगोत्सव सचिवालय में 25 से 27 फरवरी तक आयोजित होगा है, जिसमें राजस्थान के 13 जिलों से 15 स्वयं सहायता समूह भाग ले रहे हैं। कार्यक्रम में कुल 10 स्टॉल लगाए गए हैं। इन स्टॉल पर हर्बल गुलाल, पारंपरिक खाद्य सामग्री, गुजिया, ठंडाई उत्पाद, हर्बल उत्पाद, उपहार एवं सजावटी सामग्री, सॉफ्ट टॉयज, लकड़ी एवं क्रोशिया उत्पादों का प्रदर्शन एवं विक्रय किया जा रहा है। होली के अवसर को ध्यान में रखते हुए इको-फ्रेंडली एवं हर्बल उत्पादों को विशेष प्राथमिकता दी गई है।

मृतक के परिवार को दी आर्थिक मदद

जयपुर। विधान सभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने अपने वैवेकिक अनुदान कोष से भरतपुर निवासी महादेव को आर्थिक सहायता प्रदान की है। उल्लेखनीय है कि आगरा-जयपुर राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-21 पर 10 फरवरी को हुए भीषण सड़क हादसे में युवा लोकेश एवं मुकेश की मृत्यु हो गई। देवनानी ने दिवंगत युवाओं के गमगीन पिता महादेव को आर्थिक सहायता प्रदान की है। देवनानी ने दिवंगत लोकेश एवं मुकेश के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए शोक संतप्त परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त की। देवनानी ने दो पुत्रों को खोने वाले पिता महादेव को इस दुख की घड़ी में ढांढस बंधाया। देवनानी ने घायल अंजलि के शीघ्र स्वास्थय लाभ की कामना की है। देवनानी ने दिवंगतों की आत्म शांति और शोक संतप्त परिजनों को दुख सहन करने की शक्ति देने के लिये ईश्वर से प्रार्थना की। देवनानी ने बताया महादेव को संबंधित जिलाधीश कार्यालय अन्य सरकारी सहायता दिलाने के प्रयास किये जा रहे है।

पुलिस ने 178 अपराधियों को दबोचा

जयपुर। राजधानी के उत्तर जिले में अपराधियों के खिलाफ पुलिस ने बुधवार को पुलिस उपायुक्त (उत्तर) करन शर्मा के निर्देश पर चलाए गए विशेष एरिया डोमिनेशन अभियान के तहत पुलिस की अलग-अलग टीमों ने एक साथ 377 ठिकानों पर दबिश दी। इस सघन तलाशी अभियान के दौरान जिले के विभिन्न थाना क्षेत्रों से कुल 178 सक्रिय अपराधियों को दबोचा गया है। पुलिस उपायुक्त (उत्तर) करन शर्मा ने बताया कि अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त (प्रथम व द्वितीय) के सुपरविजन में समस्त सहायक पुलिस आयुक्तों और थाना अधिकारियों ने विशेष टीमें गठित की। टीमों ने सक्रिय आदतन अपराधियों,हार्डकोर बदमाशों, हिस्ट्रीशीटरों और वांछित अपराधियों के ठिकानों पर अचानक छापेमारी की। जिससे आपराधिक तत्वों में हड़कंप मच गया। पकड़े गए अपराधियों के खिलाफ पुलिस ने विभिन्न अधिनियमों के तहत कड़ी कार्रवाई की है। जिसमें एनडीपीएस एक्ट में 05, आबकारी अधिनियम में 11 और आर्म्स एक्ट के तहत 03 बदमाशों को पकड़ा गया। इसके अलावा पुलिस ने 47 स्थाई व गिरफ्तारी वारंटियों को गिरफ्तार किया और 01 इनामी अपराधी भी पुलिस के हत्थे चढ़ा। साथ ही शांति भंग और अन्य निरोधात्मक धाराओं में कुल 103 लोगों को पाबंद किया गया। पुलिस ने कार्रवाई के दौरान अपराधियों के कब्जे से 04 वाहन भी जब्त किए हैं।

चलती कार बनी आग का गोला

जयपुर। राजधानी के गांधी सर्किल के पास एक बड़ा हादसा टल गया। सर्विस सेंटर से लौट रही एक चलती टैक्सी कार में अचानक आग लग गई। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया और 17 लाख रुपए की कार सड़क पर ही आग का गोला बन गई। गनीमत रही कि चालक ने धुआं उठते ही सूझबूझ दिखाई और समय रहते बाहर निकल गया, जिससे उसकी जान बच गई। गांधी नगर थानाधिकारी भजनलाल ने बताया कि हादसा रात करीब साढ़े सात बजे हुआ। चालक अमित धाबास अपनी कार की सर्विस कराकर लौट रहे थे। कार में सीएनजी किट लगी हुई थी और यह वाहन वर्ष 2025 में ही खरीदा गया था। गांधी सर्किल के पास अचानक बोनट से धुआं निकलता देख अमित ने तुरंत गाड़ी रोकी। उनके बाहर निकलते ही आग पूरी कार में फैल गई। पीड़ित चालक अमित के लिए यह हादसा किसी डरावने सपने से कम नहीं था। उन्होंने बताया कि करीब 17 लाख रुपए की लागत वाली इस नई गाड़ी को अपनी आंखों के सामने राख होते देख वे सुध-बुध खो बैठे। अमित बुधवार को इस संबंध में थाने में लिखित शिकायत दर्ज करवाएंगे। हादसे के बाद सड़क पर जाम की स्थिति बन गई। सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची और दमकल की मदद से आग पर काबू पाया। पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए जली हुई कार को क्रेन की मदद से सड़क से हटाकर यातायात सुचारू करवाया।

रिश्वत के आरोपियों को जमानत नहीं

जयपुर। हाईकोर्ट ने आयकर अपीलीय अधिकरण में रिश्वत से जुड़े मामले में आरोपी सीता लक्ष्मी, मुजम्मिल, राजेन्द्र सिसोदिया, विजय गोयल और कैलाश चन्द्र मीणा को जमानत पर रिहा करने से इनकार कर दिया है।

इसके साथ ही अदालत ने इन सभी आरोपियों की जमानत याचिकाओं को खारिज कर दिया है। जस्टिस चंद्र प्रकाश श्रीमाली की एकलपीठ ने यह यह आदेश दिए। अदालत ने सभी पक्षों की बहस सुनने के बाद गत 4 फरवरी को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। आरोपी सीता लक्ष्मी की ओर से कहा गया कि वह अधिकरण में न्यायिक अधिकारी थी। ऐसे में जजेज प्रोटेक्शन एक्ट के तहत उस पर कार्रवाई नहीं की जा सकती। वहीं अन्य आरोपी की ओर से कहा गया कि प्रकरण में न तो उन्होंने रिश्वत राशि की मांग की है और ना ही उनके कोई बरामदगी हुई है। इसके अलावा प्रकरण में आरोप पत्र पेश हो चुका है। जिसकी सुनवाई लंबे समय तक चलेगी। ऐसे में उन्हें जमानत का लाभ दिया जाए।

जिसका विरोध करते हुए सीबीआई की ओर से अधिवक्ता प्रदीप कुमार ने कहा कि आरोपी पर रुपए लेकर फैसले देने का आरोप है। सीबीआई को गोपनीय सूचना मिली थी कि आईटीएटी जयपुर बेंच में लंबे समय से अपीलों को तय करने में धांधली चल रही है।

बच्चा अगर मां और जैविक पिता के साथ है तो यह अवैध हिरासत नहीं : हाईकोर्ट

जयपुर। राजस्थान हाईकोर्ट ने बच्चे की अवैध हिरासत से जुड़े मामले में दायर याचिका को खारिज कर दिया है। अदालत ने कहा कि अगर बच्चा अपनी मां और जैविक पिता के साथ है और याचिकाकर्ता स्वयं मान रहा है कि बच्चा उसका नहीं है तो फिर यह अवैध हिरासत का मामला नहीं है।

अदालत ने याचिकाकर्ता पर 50 हजार रुपए का हर्जाना भी लगाया है। जस्टिस महेन्द्र गोयल और जस्टिस समीर जैन की एकलपीठ ने यह आदेश अलवर निवासी व्यक्ति की याचिका को खारिज करते हुए दिए।

अदालत ने कहा कि याचिकाकर्ता पति ने स्वयं निचली अदालत में प्रार्थना पत्र पेश कर यह माना था कि उसकी पत्नी मई, 2024 से अपनी बहन और जीजा के साथ रह रही है। वहीं पति ने जीजा के साथ अवैध संबंध होने का आरोप लगाते हुए कहा था कि पत्नी ने अवैध संबंध को लेकर अपनी पहचान छिपाते हुए अस्पताल में बच्चे को जन्म दिया है। ऐसे में पति खुद मान रहा है कि वह उसका जैविक पिता नहीं है। इस प्रार्थना पत्र को अलवर की कोर्ट ने खारिज कर दिया था।

याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता प्रकाश ठाकुरिया ने बताया कि पुलिस ने अपनी पहली रिपोर्ट में महिला के किसी भी बच्चे को जन्म देने से इनकार किया है, लेकिन पड़ोसियों ने बच्चा पैदा होने की बात कही है। वहीं निचली अदालत की ओर से पुलिस को साक्ष्य पेश करने के निर्देश देने पर पुलिस ने दूसरी रिपोर्ट में माना की याचिकाकर्ता की पत्नी ने दूसरे नाम से अस्पताल में बच्चे को जन्म दिया है, लेकिन पत्नी कह रही है कि उसने किसी बच्चे को जन्म नहीं दिया। ऐसे में फिर अस्पताल रिकॉर्ड में पैदा हुआ बच्चा कहां गया। इसलिए आशंका है कि बच्चे की जिंदगी खतरे में है। ऐसे में राज्य सरकार के संरक्षक होने के चलते बच्चे को बरामद किया जाए। जिस पर सुनवाई करते हुए खंडपीठ ने याचिका को खारिज कर दिया।

कृषि योजनाओं की प्रगति और जमीनी स्तर पर आ रही समस्याओं पर चर्चा

सरकारी योजनाओं का लाभ अंतिम किसान तक समयबद्ध व पारदर्शी रूप से पहुंचे : मंजू राजपाल

जयपुर (कासं)। राज्य में किसानों के हित में संचालित कृषि योजनाओं की प्रभावी क्रियान्विति, प्रगति एवं जमीनी स्तर पर आ रही समस्याओं की समीक्षा को लेकर राज्य की कृषि योजनाओं के क्रम में गठित कमेटी की महत्वपूर्ण बैठक बुधवार को पंत कृषि भवन में आयोजित की गई। बैठक में योजनाओं के लाभ को अंतिम छोर पर बैठे किसान तक समय पर पहुंचाने तथा उनकी आय में सतत वृद्धि सुनिश्चित करने पर विशेष बल दिया गया।

कृषि एवं उद्यानिकी विभाग की प्रमुख शासन सचिव मंजू राजपाल की अध्यक्षता में बुधवार को बैठक हुई।

बैठक की अध्यक्षता करते हुए प्रमुख शासन सचिव, कृषि एवं उद्यानिकी, मंजू राजपाल ने कहा कि राज्य सरकार किसानों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी योजनाओं का क्रियान्वयन पारदर्शी ढंग से हो तथा किसानों को योजनाओं का अधिकतम लाभ दिलाने के लिए जमीनी स्तर पर आने वाली समस्याओं का त्वरित समाधान किया जाए।

केन्द्रीय कृषि एवं कल्या मंत्रालय के संयुक्त शासन सचिव संजय अग्रवाल ने कहा कि राजस्थान में बागवानी फसलों-फल, फूल एवं सब्जियों-की अपार संभावनाएं हैं। उन्होंने इन फसलों के चयन के साथ ठोस कार्ययोजना तैयार कर उसे धरातल पर प्रभावी रूप से लागू करने पर ज़ोर दिया, जिससे किसानों की आय में उल्लेखनीय वृद्धि हो सके। उन्होंने जल संरक्षण के अंतर्गत सूक्ष्म सिंचाई प्रणालियों को अधिक से अधिक बढ़ावा देने तथा प्रदेश में ईसबगोल, जीरा, सौंफ जैसी फसलों की उन्नत एवं नई किस्मों को व्यापक रूप से प्रमोट करने की आवश्यकता बताई।

बैठक में राज्य सरकार की प्रमुख कृषि योजनाओं की वर्तमान स्थिति पर विस्तार से चर्चा की गई। योजनाओं के अंतर्गत किसानों को मिल रहे लाभ, फसल उत्पादन बढ़ाने, आधुनिक कृषि तकनीकों के उपयोग, सिंचाई सुविधाओं के विस्तार, उन्नत बीज वितरण, मृदा स्वास्थ्य सुधार तथा किसानों की आय बढ़ाने से जुड़े विषयों पर गहन मंथन हुआ। साथ ही बागवानी, पशुपालन, जैविक खेती एवं सहायक कृषि गतिविधियों को बढ़ावा देने पर भी सहमति बनी।

कमेटी ने निर्णय लिया कि सभी योजनाओं की नियमित मॉनिटरिंग की जाएगी तथा जिला स्तर पर समीक्षा बैठकों के माध्यम से प्रगति रिपोर्ट प्राप्त की जाएगी। अधिकारियों को किसानों से सीधे संवाद स्थापित कर उनकी समस्याओं का प्राथमिकता से समाधान करने के निर्देश दिए गए। बैठक में आयुक्त कृषि चिन्मयी गोपाल, आयुक्त उद्यानिकी शुभम चौधरी, निदेशक कृषि विपणन विभाग राजेश कुमार चौहान सहित भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर) अविकानगर, बीकानेर एवं भरतपुर के निदेशक, कृषि एवं उद्यानिकी विभाग, कृषि विपणन विभाग तथा राजस्थान राज्य बीज निगम के अधिकारी उपस्थित रहे।

जयपुर कलेक्टर ने दिए फायर ऑडिट के आदेश

जयपुर। राजधानी में कोचिंग संस्थानों में छात्र सुरक्षा को लेकर जिला प्रशासन ने कड़ा रुख अख्तियार कर लिया है। कलेक्टर डॉ. जितेंद्र सोनी ने बुधवार को कलेक्ट्रेट सभागार में कोचिंग संचालकों की समीक्षा बैठक लेते हुए सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन की अक्षरश: पालना सुनिश्चित करने के सख्त निर्देश दिए। बैठक में कलेक्टर ने सभी कोचिंग संस्थानों को तुरंत फायर ऑडिट करवाने के निर्देश दिए। छात्र सुरक्षा की दिशा में सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्धारित 12 प्रमुख बिंदुओं पर पालना रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए 9 मार्च तक का समय दिया है।

कलेक्टर ने स्पष्ट किया कि निर्धारित समय सीमा के बाद नियमों में किसी भी प्रकार की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। बैठक में उप जिला कलेक्टर युगांतर शर्मा, जयपुर पुलिस कमिश्नरेट के जिले के चारों जोन के पुलिस अधिकारी, नगर निगम, जयपुर विकास प्राधिकरण और चिकित्सा विभाग के आला अधिकारी मौजूद रहे। प्रशासन ने सभी विभागों को आपसी समन्वय से संस्थानों की जांच करने के निर्देश दिए। ऑल कोचिंग इंस्टिट्यूट महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष आरसी शर्मा की उपस्थिति में प्रदेश अध्यक्ष अनीष कुमार नाडार और महासचिव अजय अग्रवाल ने प्रशासन को भरोसा दिलाया कि सभी संस्थान नियमों का पूर्ण पालन करेंगे। इसी दौरान महासंघ ने सरकार के सामने कोचिंग कल्याण बोर्ड के गठन की मांग भी रखी। महासंघ का कहना है कि बोर्ड के गठन से संस्थानों को एक सरल और सकारात्मक वातावरण मिल सकेगा।

गौ-लोक धाम में सिद्धचक्र महामंडल विधान की ऊर्जा

भक्ति और आत्मशुद्धि को समर्पित रहा दूसरा दिन

जयपुर (कासं)। चाकसू के निमोडिया में आयोजित श्री सिद्धचक्र महामंडल विधान के दूसरे दिन गोलोक धाम आत्मशुद्धि, साधना और कर्म-निर्जरा की दिव्य ऊर्जा से आलोकित हो उठा। तपोभूमि प्रणेता आचार्य प्रज्ञासागर महाराज के पावन सान्निध्य में श्रद्धालु सिद्धों के गुणगान एवं भक्ति में सराबोर रहे।

विधान आयोजन पारसमल बाकलीवाल ने बताया कि दूसरे दिवस की शुरूआत श्रीजी की शांतिधारा एवं आचार्यश्री के पाद-प्रक्षालन के साथ हुई। यह अनुपम सौभाग्य गोनेर निवासी सेठी परिवार महावीर मंजू सेठी, अरूण-गुडिया, दर्शन एवं रिद्धि सेठी ने प्राप्त किया। सिद्धचक्र महामंडल विधान के दूसरे दिन मण्डलजी पर 16 अर्घ समर्पित किए गए। पिंडरई के युवा विधानाचार्य पं. श्रेयस जैन के कुशल मार्गदर्शन में सभी क्रियाएं विधिवत सम्पन्न हुई। प्रत्येक अर्घ के साथ वातावरण श्रद्धा और आध्यात्मिक ऊर्जा से गुंजायमान रहा। भाई जैनम जैन की सुरमयी संगीत प्रस्तुतियों ने कार्यक्रम को भावपूर्ण बना दिया। उनकी भक्ति-रस से ओतप्रोत धुनों ने उपस्थित श्रद्धालुओं को आध्यात्मिक आनंद की अनुभूति कराई।

आचार्य प्रज्ञासागर महाराज ने मंगल प्रवचन में कहा कि यह महामंडल केवल एक विधान नहीं, बल्कि सिद्धों की कृपा का जीवंत साक्षात्कार है। यहाँ अर्पित प्रत्येक अर्घ मोक्ष-पथ की एक नई सीढ़ी बनता है और आत्मा को शुद्धि की ओर अग्रसर करता है। उन्होंने कहा कि यह विधान और अधिक महत्वपूर्ण इसलिए है कि यहां न केवल आध्यात्मिक क्रियाएं सम्पन्न करवाई जा रही हैं, बल्कि जीव दया और प्रकृति संरक्षण के प्रति भी आमजन को जागरूक किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि प्रकृति से जुड़ाव से ही पर्यावरण संरक्षण और संतुलन संभव है। कार्यक्रम का समापन महाआरती के साथ हुआ।